	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार–249404 ***Website:psc.uk.gov.in***
विज्ञापन संख्या :– **A-2/DR(VO)/S-1/2026**	

पशुचिकित्सा अधिकारी चयन परीक्षा–2026

विज्ञापन प्रकाशन एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	–	दिनांक 25 अगस्त, 2026
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	–	दिनांक 14 सितम्बर, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क **Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI Payment** द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	दिनांक 14 सितम्बर, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन/परिवर्तन करने की अंतिम तिथि	–	दिनांक 22 सितम्बर, 2026 से दिनांक 1 अक्टूबर 2026 तक (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश	
1.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या **168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023,** दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 समय–समय पर यथा संशोधित के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
2.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। **अभ्यर्थी** ऑनलाइन **आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना** ऑनलाइन **आवेदन करना सुनिश्चित करें।**
3.	अभ्यर्थी द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना अनिवार्य है। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है।
4.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें वह कि ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् **दिनांक 14 सितम्बर, 2026** तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंकपत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) से किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के अन्तर्गत Result Declaration Date के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत

	होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन अवश्य करें। **विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा।**
5.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। प्रवेश पत्र पर लिखना तथा प्रवेश पत्र पर लिख कर लाना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
6.	प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Dabit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7.	अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ही Online Application की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।
8.	ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर प्रश्नगत पद हेतु पुनः आवेदन कर सकता है, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात अभ्यर्थी को संशोधित/नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
9.	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (**Edit/Correction**) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत केवल एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या–12 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (**Edit/Correction**) किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
10.	अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए परिशिष्ट–01, पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट–02, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारुप हेतु परिशिष्ट–03, न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट–04, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को

	श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट–05** तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट–06 एवं** अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट हेतु **परिशिष्ट–07** का अवलोकन करें।
11.	प्रश्नगत लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम् अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट–04** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी/उप–श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
12.	**i-** आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। **ii.** प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार **लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)** का आयोजन किया जाएगा। **iii.** आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। **iv.** विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण–पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। **v.** लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा –शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, प्रचलित शासनादेशों, विनियमों एवं प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
13.	प्रश्नगत पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः औपबन्धिक होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा प्रारम्भिक स्तर पर ही उसका आवेदन अस्वीकार किया जाना चाहिए था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आयोग द्वारा अन्तिम रूप से चयन के उपरान्त अभ्यर्थी की संस्तुति प्रेषित की जा चुकी हो, तो उक्त स्थिति में भी आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
14.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन **हरिद्वार तथा हल्द्वानी** नगर के परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने की दशा में लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन केवल हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित की जायेगी।

15.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। **अभ्यर्थियों को परीक्षा के विभिन्न चरणों की महत्वपूर्ण सूचनायें ई–मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई0 डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।** साथ ही इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
16.	दिव्यांग अभ्यर्थी अपने दिव्यांग आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए। दिव्यांगजन अभ्यर्थी श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्राप्त करने हेतु भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी का अंकन अवश्य करें, अन्यथा अभ्यर्थी को श्रुतलेखक/अन्य सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पशुपालन विभाग के अन्तर्गत **पशुचिकित्सा अधिकारी** के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) आमन्त्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थियों का चयन **लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्राप्तांक से निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर किया जायेगा।**

1. रिक्तियों का विवरण :– **पशुचिकित्सा अधिकारी** पद हेतु **रिक्तियों की कुल संख्या 25 है। रिक्तियों की संख्या घट व बढ़ सकती है।** रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार/उपश्रेणीवार निम्नवत् है–

सामान्य भर्ती– (पदों की सं0– 20)

श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज रिक्तियों का विवरण						
		उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0से0 के आश्रित 2%	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी 4%	पूर्व सैनिक 5%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5%	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलन कारी या उनके आश्रित (10%)	दिव्यांग 4%
अनारक्षित	13	04	——	——	01	01	02	——
अनुसूचित जाति	02	01	——	——	——	——	——	
अनुसूचित जनजाति	——	——	——	——	——	——	——	
अन्य पिछड़ा वर्ग	03	01	——	——	——	——	——	
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	02	——	——	——	——	——	——	
कुल	20	06	——	——	01	01	02	

विशेष भर्ती (बैकलॉग)– (पदों की संख्या 05)

श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज रिक्तियों का विवरण						
		उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0से0 के आश्रित 2%	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी 4%	पूर्व सैनिक 5%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5%	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित (10%)	दिव्यांग 4%
अनारक्षित	––	––	––	––	––	––	––	04 (02–LV/PB 02–HH/PD)
अनुसूचित जाति	01	––	––	––	––	––	––	
अनुसूचित जनजाति	––	––	––	––	––	––	––	
अन्य पिछड़ा वर्ग	––	––	––	––	––	––	––	
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	––	––	––	––	––	––	––	
कुल	01	––	––	––	––	––	––	04

नोटः– (1) उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 48/**XVII-A-3/2023-01(11)**/वि0क0/**2017**, दिनांक–05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी **OA, OL, LV/PB, HH/PD, DW** एवं **AAV/AV** हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तद्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(2) उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 949/**XV-1**/2025–96554 दिनांक 21 अप्रैल, 2026 के क्रम में यदि वर्तमान चयन में **LV/PB, HH/PD** के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो सम्बन्धित पदों को **OA, OL, DW** एवं **AAV/AV** के अभ्यर्थियों से अदला–बदली के अनुसार सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से भरा जाएगा। यदि अदला–बदली के उपरान्त भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो तद्नुसार प्रवीणता सूची के अनुसार भरा जाएगा।

2.	वेतनमान	–	वेतन लेवल–10 (56100–177500)
3.	पद का स्वरूप	–	समूह 'ख' राजपत्रित / अस्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।
4.	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता		(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0) में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से उसके समकक्ष उपाधि या समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984(अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित कोई अन्य पशु चिकित्सा अर्हता, (ख) उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद में सम्यक् रूप से पंजीकृत हो। **उक्त बिन्दु (क) में उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 949 / XV-1 / 2025–96554 दिनांक 21 अप्रैल, 2026 के क्रम में समकक्ष उपाधि के अन्तर्गत निम्नलिखित उपाधि सम्मिलित है– भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम, 1984 में बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० डिग्री के अतिरिक्त निम्नानुसार अर्हताओं का भी उल्लेख किया गया है–** 1. बैचलर आफ वैटरिनरी सांइस (बी०वी०एस०सी०) 2. बैचलर आफ साइंस (वैटी) (बी०एस–सी० (वैटी) 3. ग्रेजुएट इन वैटरिनरी साइंस (जी०वी०एस–सी०) 4. ग्रेजुएट इन वैटरिनरी साइंस एण्ड एनिमल हज्बेन्ड्री (जी०वी०एस–सी० एण्ड ए०एच०) 5. ग्रेजुएट आफ बंगाल वैटरिनरी कालेज (जी०बी०वी०एस०) 6. ग्रेजुएट आफ बिहार वैटरिनरी कालेज (जी०बी०वी०एस०) 7. ग्रेजुएट आफ मुम्बई वैटरिनरी कालेज (जी०एम०वी०एस०) 8. ग्रेजुएट आफ मद्रास वैटरिनरी कालेज (जी०एम०वी०एस०) 9.मद्रास पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक (जी0एम0वी0जी0) 10. मैम्बर आफ दी रायल कालेज आफ वैटरिनरी सर्जन्स (एम०आर०सी०वी०एस०) 11. बैचलर आफ वैटरिनरी मैडिसिन (बी०वी० मैड०) 12. बैचलर आफ वैटरिनरी मैडिसिन (बी०वी०एम०) 13. डाक्टर आफ वेटिरिनरी मेडीसिन (डीवीएम) 14. विज्ञान स्नातक (पशुचिकित्सा) (बी०एससी०पशुचिकित्सा) 15. पशुचिकित्सा पशुविज्ञान स्नातक (बी०वी०ए०एससी)''
5.	अधिमानी अर्हता	–	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने – (क) पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, डिप्लोमा, या

			अन्य कोई उच्च अर्हता प्राप्त की हो, या (ख) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या (ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। **उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 949/XV-1/2025–96554 दिनांक 21 अप्रैल, 2026 के क्रम में** अधिमानी अर्हता में उल्लिखित पशुचिकित्साविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष निम्नलिखित अर्हताएं हैं– 1. MASTER OF VETERINARY SCIENCE (M.V.Sc Surgery) 2. MASTER OF VETERINARY SCIENCE (M.V.Sc Gynecology) 3. MASTER OF VETERINARY SCIENCE (M.V.Sc Breeding) 4. MASTER OF VETERINARY SCIENCE (M.V.Sc Medicine) 5. MASTER OF VETERINARY SCIENCE (M.V.Sc Radiology) 6. MASTER OF VETERINARY SCIENCE (M.V.Sc Microbiology) 7. MASTER OF VETERINARY SCIENCE (M.V.Sc Pathology) 8. MASTER OF VETERINARY SCIENCE (M.V.Sc Animal nutrition) 9. MASTER OF VETERINARY SCIENCE (M.V.Sc Public health) 10. MASTER OF VETERINARY SCIENCE (M.V.Sc Biochemistry) 11. MASTER OF VETERINARY SCIENCE (M.V.Sc Poultry)
6.	आयु सीमा	–	आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2026 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2005 के बाद तथा 02 जुलाई, 1984 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

5. अधिकतम आयुसीमा में छूट :– विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी अथवा उपश्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी।

(1) उत्तराखण्ड **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग** हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(2) उत्तराखण्ड के **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित** अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : **1244/XXX(2)/2005,** दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(3) उत्तराखण्ड के **दिव्यांगजन** अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : **1244/XXX(2)/2005,** दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह 'ख' के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(4) शासनादेश संख्याः 17/2/1981–कार्मिक–2, दिनांक 28 फरवरी, 1985 के अनुसार ''उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन

प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी–

1. जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों।
2. जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवा मुक्त हुए हों।''

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

6. **राष्ट्रीयता** :–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा केन्या, युगांडा या संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो;

परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है, तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी :– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

7. **चरित्र** :–सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति–प्राधिकारी इस सम्बन्ध में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी :–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

8. वैवाहिक प्रास्थिति :– ऐसा पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसका एक से अधिक जीवित पति हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगेः

परन्तु सरकार को यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

9. शारीरिक स्वस्थता :– किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व उसने–

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(ख) सेवा के अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–II, भाग–III में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित हैः

परन्तु यह कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या–49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अधीन चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा,

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

10. आरक्षण :– उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(i). अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा महिला श्रेणी, उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ी, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0) एवं उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी एवं उनके आश्रित के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(ii). आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रारूप पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iii) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के **"परिशिष्ट–3"** में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–3"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहाँ शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहाँ

वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(iv) शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित एवं मान्य होना चाहिये।

(v). अधिसूचना संख्या–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण) अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्यधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये। शासन द्वारा जारी अधिसूचना सं0 **29/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयुसीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।**

ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष 2025–2026 की आय गणना के आधार पर निर्गत तथा वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु मान्य होना चाहिए।

(vi). उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में **उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम–2022 के प्रस्तर–3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।**

(vii). उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सं0 244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2024 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा। **उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों हेतु शासनादेश सं0 139/XX(8)/24-27(रा0आ0)/2018, दिनांक 24 नवम्बर, 2024 के क्रम में जो राज्य आंदोलनकारी पूर्व से ही राज्य आंदोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवानियोजित होने का लाभ ले चुके हैं, वे पुनः अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगें। प्रत्येक राज्य आंदोलनकारी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारी कोटे से क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।**

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों हेतु क्षैतिज आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास शासनादेश सं0 139 दिनांक 24 नवम्बर, 2024 के क्रम में निर्धारित प्रारुप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(viii). दिव्यांगजन आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम **40 प्रतिशत** की दिव्यांगता होना अनिवार्य है। दिव्यांगता की जिस

श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित हैं, उसी दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

शासनादेश सं0 374(1)XXX(2)2019-30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत की विकलांगता से संबंधित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका सिद्धांत परिशिष्ट–5, 5(1), 5(2) तथा 40 प्रतिशत से कम विकलांगता से सम्बन्धित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका सिद्धांत परिशिष्ट–6, 6(1), 6(2) में संलग्न है।

(**ix**). पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या– 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार उत्तराखण्ड के अधिवासी, सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या–124/XXX(2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर–8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के ***O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would ceases*** का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा **उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना सं0 145/XXXVI(3)/2026/30(1)/2026, दिनांक 24 अप्रैल, 2026 के अनुसार एक बार पूर्व सैनिक हेतु अनुमन्य आरक्षण के आधार पर यदि कोई पूर्व सैनिक लोक सेवाओं और पदों में नियुक्ति/नियोजन प्राप्त कर लेगा, तो इसके पश्चात उसे पूर्व सैनिक के रुप में प्रदत्त आरक्षण का लाभ पुनः लोक सेवाओं और पदों में अनुमन्य नहीं होगा।** अतः पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक के क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(**x**). स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को क्षैतिज आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

(**xi**). अधिसूचना संख्याः–179/XXX(2)/2021-30(2)/2019, दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित/अनाथ बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता–पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष की अवधि तक हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 एवं शासनादेश सं0 11/XXX(2)/2022-30(2)/2019, दिनांक 16 फरवरी, 2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(**xii**). यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

11. <u>ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया (Procedure to apply online) -</u>

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** या **ukpsc.net.in** पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात **ukpsc.net.in** पर जाकर **Menubar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
3- **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर **वॉछित**, अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात् अभ्यर्थी **High School** का विवरण भर कर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **re upload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।
6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात **"I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself" declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फार्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वॉछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Proceed Button** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु **Pay Now Button** पर क्लिक कर, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।
7. **Final Submission के उपरान्त आवेदन–पत्र** में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द **(Cancel)** कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। **रद्द किये गये आवेदन पत्र के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा।** आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने

के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर ओ0टी0पी0 **(OTP)** प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन **(Cancel Application)** के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोटः (1) **उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी** हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद Final Submit बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

(2) **Final Submission से पूर्व** अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म में वापस **(Back)** जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या **(Technical Issue)** के समाधान हेतु अभ्यर्थी **ukpschelpline@gmail.com** पर ई–मेल कर सकते हैं। **Final Submission** के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

12. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया–

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् **दिनांक 22 सितम्बर, 2026 से दिनांक 01 अक्टूबर, 2026** तक प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा–निर्देशः–

(i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (Edit/Correction) का लिंक खोला जाएगा।

(ii) Edit/Correction हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।

(iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेंगे।

(iv) लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में **(मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर)** आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।

(v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।

(vi) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तो के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर

अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नही पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

13. आवेदन शुल्क :– प्रश्नगत् परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI Payment के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन–शुल्क (Application Fees रु0)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax रु0)	कुल शुल्क (Total Feesरु0)
01.	अनारक्षित	150	16.36	166.36
02.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	150	16.36	166.36
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	60	16.36	76.36
04.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	150	16.36	166.36
05.	शारीरिक दिव्यांग	कोई शुल्क नहीं	16.36	16.36
06.	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट :–(1) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/कुशल खिलाड़ी/राज्य आंदोलनकारी अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, **यथा**–सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(2) दिव्यांगता उपश्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छूट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रू0 16.36 देय होगा।

(3) परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा, उसे निरस्त माना जायेगा।

(4) अभ्यर्थी द्वारा जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

14. अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश–

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/ नियमावलियों/मैनुअल्स/ मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं

समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022** यथा संशोधित आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

(03) विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकृति (Objective Type with Multiple Choice) की लिखित परीक्षा विज्ञापन के परिशिष्ट–1 में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार आयोजित की जायेगी। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(05) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई–मेल ukpschelpline@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

(06) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा– शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, प्रचलित शासनादेशों, विनियमों एवं प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा तथा **अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया जायेगा।** अभिलेख सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत **'अनापत्ति प्रमाण–पत्र'** अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने विभाग में प्रस्तुत कर दिया हो उसकी पावती प्रति अभिलेखो के साथ प्रेषित की गई हो तो, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में औपबंधिक अर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा तथा प्रश्नगत परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम घोषित होने तक विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों का औपबंधिक चयन परिणाम घोषित किया जायेगा।

(08) गलत उत्तरों के लिए दण्ड– वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्डस्वरूप (ऋणात्मक मूल्यांकन) किया जायेगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(09) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से सम्बन्धित उत्तरकुंजियों के प्रकाशन एवं आपत्ति निस्तारण के सम्बन्ध में नवीन निर्मित Online Question Paper Objection Module के अन्तर्गत दो चरणों में आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी।

प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ परीक्षा के A सीरीज के प्रश्नपत्र को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा, और अभ्यर्थी उक्त प्रश्नपत्र के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र से सम्बन्धित प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना (Structure of Questions and Options) के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति निःशुल्क कर सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना के संबंध में प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करवाते हुए आयोग द्वारा औपबन्धिक उत्तरकुंजी तैयार की जाएगी।

तदुपरांत, द्वितीय चरण में औपबन्धिक उत्तरकुंजी को आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा। अभ्यर्थी औपबन्धिक उत्तरकुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर प्रश्नों के उत्तर (सही/गलत विकल्प) के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रु0 50/– का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों से निस्तारण करवाने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जायेगी, जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम निर्मित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम जारी करते समय परीक्षा परिणाम के साथ अंतिम उत्तरकुंजी को आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जायेगा।

दोनों चरणों में आपत्तियाँ केवल Online माध्यम से प्राप्त की जायेंगी। Online माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं होगी। अन्तिम उत्तर कुंजी के सापेक्ष किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

(10) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(11) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी (डिजिटल एवं एनालॉग आदि) अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार

के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश–

(12) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। **ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश–2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।**

(13) **परीक्षा केन्द्र में आचरण–** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(14) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)**– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु उन्हें उपलब्ध कराये गये उत्तर पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (**पुरुष** अभ्यर्थी की दशा में **बायें अँगूठे** का निशान तथा **महिला** अभ्यर्थी की दशा में **दायें अँगूठे** का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(15) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(16) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(17) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम (औपबंधिक) होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारंम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(18) हाई स्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(19) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 यथा संशोधित–2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(20) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः– अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(21) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगाः–

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/ उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुॅचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या

अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ड़) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्व उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(22) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(23) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(24) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(25) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(26) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदो के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आवेदित जनपदो में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य जनपदो में भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा और न ही उस पर विचार किया जायेगा।

(27) अभ्यर्थी लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित फोटो पहचान पत्र (आई0डी0) अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(28) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(29) चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(30) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

-sd-
(अशोक कुमार पाण्डेय)
सचिव।

परिशिष्ट– 1
पशुचिकित्सा अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम

क्र.	प्रश्न–पत्र	विषय	परीक्षा का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
1.	प्रश्नपत्र–I	सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिन्दी	वस्तुनिष्ठ प्रकार	100	200	2 घण्टे
2.	प्रश्नपत्र–II	पशुचिकित्सा विज्ञान	वस्तुनिष्ठ प्रकार	150	300	3 घण्टे
3.	प्रश्नपत्र–III	पशु विज्ञान	वस्तुनिष्ठ प्रकार	150	300	3 घण्टे
कुल अंक					800	

नोटः–1. उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक (1/4) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

परिशिष्ट– 2

पशुचिकित्सा अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र–I

(सामान्य अध्ययन एवं हिन्दी)

प्रश्नों की संख्याः 100 अधिकतम अंकः 200 समयावधिः 2 घण्टे

क–सामान्य अध्ययन

प्रश्न की संख्या–80 अधिकतम अंक–160

1	**सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी** : सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे।
2	**भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन** : भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत प्रश्न; प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन पर आधारित होंगे।
3	**भारतीय राज्य व्यवस्था** : भारतीय राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न; भारतीय राज्यव्यवस्था, संविधान एवं पंचायती राज पर आधारित होंगे।
4	**भारत का भूगोल एवं जनांकिकी** : इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारस्थितिकीय, सामाजिक–आर्थिक और जनांकिकीय पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित होंगे।
5	**सम–सामयिक घटनाएं** : इसके अन्तर्गत प्रश्न उत्तराखण्ड राज्यीय तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होंगे।
6	**उत्तराखण्ड का इतिहास** : उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई0 तक)ः मध्यकाल (1200 से 1815 ई0 तक)ः प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका।
7	**उत्तराखण्ड की संस्कृति** : जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, परम्पराएं एवं रीति–रिवाज, वेश–भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, नृत्य, गायन, वाद्य यंत्र, खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार पर आधारित होंगे।
8	**उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकीः** भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड में नदियां, पर्वत, जलवायु, मिट्टी, वन संसाधन, बागवानी, प्रमुख फसलें। सिंचाई के साधन, प्राकृतिक एंव मानव जनित आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन। जल संकट और जलागम प्रबन्धन, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन, उत्तराखण्ड की जनसंख्याः वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।
9	**उत्तराखण्ड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन–** प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, पर्यटन, खनिज तथा उद्योग। संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति। उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ।

10	**सामान्य बुद्धि परीक्षण** :: सामान्य बुद्धि परीक्षण के अन्तर्गत बोधगम्यता, तार्किक एवं गणितीय क्षमता इत्यादि का परीक्षण सम्मिलित है।

A- General Studies

No of Questions : 80 **MM: 160**

1	**General Science and Knowledge of Computer Operation:** Questions on General Science and Computer operation will cover general understating and application of science and Computers including matters of day to day observation.
2	**History of India and Indian National Movement:** Questions on history of India and Indian National Movement will be based on general understanding of ancient, medieval and modern India and India's freedom movement.
3	**Indian polity:** Questions on Indian polity will be based on Indian polity, Constitution and Panchayati raj.
4	**Geography and Demography of India:** Questions will be based on a general understanding of geographical, ecological, socio-economic aspects and demography of India.
5	**Current Events:** Questions will be based on current events of Uttarakhand and National importance.
6	**History of Uttarakhand:** Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; Medieval period (from 1200 to 1815 AD): Important dynasties and their achievements; Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri State and its administration, role of Uttarakhand in the Freedom Movement of India.
7	**Culture of Uttarakhand:** Question will be based on Castes and tribes, religious and folk beliefs, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festivals, dances, songs, musical instruments, sports, tournaments and awards.
8	**Geography and Demography of Uttarakhand:** Geographical Setup. Rivers, mountains, climate, soils, forest resources and horticulture, Major crops of Uttarakhand. Means of irrigation. Natural and man-made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management, Environment and environmental movements. Population of Uttarakhand: Distribution, density, sex ratio, literacy and migration.
9	**Economic and natural resoures of Uttarakhand:** Education system of the State and important educational institutes; tourism, minerals and industries. The position of utiliszation of resources. Various schemes being implemented in Uttrarakhand for the eradication of poverty and unemployment.
10	**General intelligence test:** In General Mental Ability, questions will include test comprehension, reasoning and numerical ability.

ब–सामान्य हिन्दी

प्रश्नों की संख्याः 20 **अधिकतम अंकः 40**

स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम–व्याकरण विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, विराम चिह्न।

प्रश्न पत्र–II
(पशुचिकित्सा विज्ञान)

कुल प्रश्न : 150 | अधिकतम अंक : 300 | समयावधि : 3 घंटे

1. पशु चिकित्सा फार्माकोलॉजी और विष विज्ञान : सामान्य फार्माकोलॉजी एवं ऐतिहासिक विकास। औषधियों की स्रोत और प्रकृति, फार्माकोलॉजी टर्म एवं औषधियों का नामकरण। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाएं, दवा पारस्परिक क्रिया। विभिन्न प्रकार की दवाएं और उनके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय प्रणाली, श्वसन प्रणाली और मूत्रजननांगी प्रणाली जैसे विभिन्न शरीर प्रणालियों पर प्रभाव। पशु चिकित्सा कीमोथेरेपी और जानवरों में दुरुपयोग की दवाएं। स्वदेशी औषधीये पौधों की फार्माकोलॉजी। विषैले पौधों और धातुओं और गैर धातुओं की विषाक्तता, कृषि रसायन, जीवाणु और फफूँदी जन्य टॉक्सिन्स, विषैले जन्तुओं द्वारा काटना और डंक मारना, परिरक्षक दवाएं और जैवनाशक अवशेष। पर्यावरण प्रदूषक और विकिरण के खतरे।

2. पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान : पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान, जीवाणु रंग और रंग तकनीक का इतिहास और दायरा। जीवाणु की सूक्ष्मदर्शीय आकारीय संरचना। एरोबिक तथा एनारोबिक जीवाणुओं का पृथकीकरण एवं पहचान। सूक्ष्मजीव प्रतिरोधी परीक्षण। संक्रमण के प्रकार एवं स्रोत, संचरण की विधि। रोगजनकता और उग्रता के निर्धारक। जीवाणुओं की आनुवंशिकी, प्लाज्मिड़ और दवा प्रतिरोध। बैक्टीरियल जैनेटिक्स, प्लाज्मिड्स और दवा प्रतिरोध। महत्वपूर्ण ग्राम–नेगेटिव, ग्राम–पॉजिटिव बैक्टीरिया और फफूंदों की आइसोलेशन, वृद्धि, कल्चरल, मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और एंटीजनिक विशेषताएँ, साथ ही उनके द्वारा उत्पन्न बैक्टीरियल और माइकोटिक रोगों की महामारी विज्ञान, रोगजनन, रोगकारकता, निदान, रोकथाम और नियंत्रण। माइकोटॉक्सिकोसिस का पशु चिकित्सीय महत्व। पीसीआर, डीएनए अनुक्रमण और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जैव सूचना विज्ञान, आईपीआर और सोख्ता तकनीक। इम्यूनोलॉजी के सिद्धांत, लसिका अंग, प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़े अंग,एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन प्रसंस्करण और एंटीबॉडी उत्पादन से संबंधित ऊतक और कोशिकायें। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स (MHC–एम एच सी), इम्यूनोटॉलेरेंस, कामप्लीमेंट प्रणाली, अतिसंवेदनशीलता, साइटोकिन्स। टीकों के लिए प्रतिरक्षा की अवधारणा, सीरोलॉजिकल परीक्षण। वायरस की संरचना और वर्गीकरण, वायरस प्रतिकृति, वायरस–सेल इंटरैक्शन, वायरस का कल्चर। सामान्य विशेषता, एंटीजन, महत्वपूर्ण डीएनए और आरएनए वायरस के कल्चर साथ ही साथ उनकी रोगजनकता, रोगव्यापकता, नैदानिक संकेत, निदान, रोग बचाव एवं नियंत्रण और उनके और प्राइन प्रोटीन द्वारा पशुओं और कुक्कुटों में उत्पन्न रोग।

3. पशु चिकित्सा परजीवी विज्ञान : सामान्य परजीवी विज्ञान, परजीवी के प्रकार, होस्ट और वैक्टर। परजीवियों के संचरण के तरीके, परजीवी–होस्ट इंटरैक्शन, परजीवी संक्रमण एवं संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षा। ट्रेमाटोड, नेमाटोड, सिस्टोड्स और प्रोटोजोआ के साथ–साथ पशु चिकित्सा महत्व के आर्थेपोड्स का जीवन चक्र सहित परजीवियों की पहचान, रूपात्मक विशेषताएं, उनके विकासात्मक चरण, जीवन चक्र, संचरण के तरीके, रोगजनन, रोगव्यापकता, निदान और सामान्य रोग स्थितियों के नियंत्रण के उपाय। प्रोटोजोआ परजीवी सहित ट्रिपैनोसोमा

प्रजाति, बेबेसिया प्रजाति, थेलेरिया प्रजाति, कोक्सिडिया प्रजाति, ट्राइकोमोनास प्रजाति, हिस्टोमोनास प्रजाति। परजीवियों का संग्रह, स्थिरीकरण, परिरक्षण और आरोपण।

4. पशु चिकित्सा विकृति विज्ञान : रोग के प्रमुख आंतरिक और बाह्य कारण, हेमोडायनामिक विकार, प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनीय सेल चोट, सेल की चपापचय पैथोलॉजी और परिगलन। पोस्टमॉर्टम परिवर्तन, सूजन, इम्यूनोपैथोलॉजी। पाचन, श्वसन, मस्कुलोस्केलेटल, कार्डियोवैस्कुलर, हेमेटोपोएटिक, लिम्फोइड, मूत्र, प्रजनन, तंत्रिका, अंतःस्रावी तंत्र, त्वचा और उपांग, कान और आंख को प्रभावित करने वाले पैथोलॉजिकल परिवर्तन। एनिमल ऑन्कोलॉजी, वेटरनरी क्लिनिकल पैथोलॉजी, नेक्रोपसी, मूत्र परीक्षण। वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, माइकोप्लाज्मल और परजीवी रोगों की विकृति। पोषण और चपापचय संबंधी विकार, विष विज्ञान, एवियन पैथोलॉजी। प्रयोगशाला और जंगली जानवरों की पैथोलॉजी। विभिन्न रोगों के सकल और सूक्ष्म रोग संबंधी घाव। ऊतक वर्गों में कारक एजेंटों का प्रदर्शन। कुक्कट का पोस्टमार्टम परीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखना। निदान के लिए नैदानिक और रुग्ण नमूनों का संग्रह, संरक्षण और प्रेषण। रैट, माइस और गिनी पिग के महत्वपूर्ण रोगों की विकृति।

5. पशु चिकित्सा जन स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान : जन स्वास्थ्य में पशु चिकित्सक की भूमिका, एकल स्वास्थ्य अवधारणा। दुग्ध और दुग्ध उत्पादों, मांस और मांस उत्पादों का स्वच्छ उत्पादन। दूध और मांस में मिलावट और दूषित पदार्थों की रोकथाम और नियंत्रण। खाद्य जनित संक्रमण और विषाक्तता, जीवनाशकों के जहरीले अवशेष, खाद्य सामग्री में हार्मोन, भारी धातु, एंटीबायोटिक्स। जोखिम विश्लेषण, विश्व व्यापार संगठन समझौते, सैनेटरी और फाइटोसैनेटरी उपाय। पशुधन रोगों की रोगव्यापकता, संक्रमण का संचरण और बरकरार रखना, पशु रोगों की निगरानी, पशु रोग पूर्वानुमान। पशु और पशु उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओ आई ई) की भूमिका और कानून, जूनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, जूनोसिस रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बहुविभागीय दृष्टिकोण। उभरता हुआ, फिर से उभरता हुआ और व्यावसायिक जूनोसिस। जूनोसिस के संचरण में घरेलू, जंगली, पालतू और प्रयोगशाला जानवरों और पक्षियों की भूमिका। बायोटेरोरिज्म के एजेंट के रूप में जूनोटिक रोगजनकों की भूमिका। जुनोटिक बीमारियों की रोगव्यापकता, नैदानिक लक्षण एवं प्रबंधन। पर्यावरणीय स्वच्छता, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, वायु और जल जनित संक्रमण एवं विषाक्तताएं, ध्वनि प्रदूषण, परमाणु खतरे, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस का पशुधन पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय संधियों या प्रोटोकॉल का प्रभाव।

6. पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सा और रेडियोलॉजी : प्रीऑपरेटिव, इंट्राऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव विचार, सूक्ष्मजीव निर्जीवीकरण और कीटाणुशोधन, टांके, सर्जिकल उपचार–तीव्र और पुरानी सूजन, ट्यूमर, सिस्ट, हर्निया और हेमेटोमा, घाव प्रबंधन, सर्जिकल शॉक का प्रबंधन, स्थानीय और सामान्य संज्ञाहरण, शामक और ट्रैंक्विलाइजर, साँस लेना संज्ञाहरण, विघटनकारी संज्ञाहरण। एवियन, वाइल्ड, जू, एक्सोटिक और लैब एनिमल एनेस्थीसिया और कैप्चर मायोपैथी, एनेस्थेटिक इमरजेंसी और प्रबंधन। एक्स–रे के भौतिक गुण, कंट्रास्ट रेडियोग्राफी, डायगोस्टिक अल्ट्रासोनोग्राफी, विकिरण के खतरे और सुरक्षा उपाय। सिर, गर्दन, वक्ष और पेट के रोगों का शल्य चिकित्सा द्वारा प्रबंधन। घोड़े, कुत्ते और गोवंशीय पशुओं में लंगड़ापन का प्रबंधन, फ्रैक्चर,

स्पाइनल ट्रॉमा, पुनर्वास और आर्थोपेडिक रोगियों की फिजियोथेरेपी, रूमेनोटॉमी, सिस्टोटॉमी, सीजेरियन ऑपरेशन, ओवेरियोहिस्टेरेक्टॉमी, स्ट्रिंगहाल्ट और ओवरीएक्टोमी।

7. पशु चिकित्सा औषधि विज्ञान : पशु चिकित्सा औषधि विज्ञान का इतिहास, पशु रोगों की अवधारणा, चिकित्सा की विभिन्न प्रणाली, नैदानिक परीक्षण/सामान्य परीक्षण और प्रणालीगत परीक्षण के विभिन्न पहलू। रोगों का अनुमान, निदान की अवधारणाओं के पैटर्न, विभेदक और निदान निगरानी, झुंड स्वास्थ्य और क्वारेंनटाइन। निदान की अवधारणाएं, विभेदक निदान, उपचार और सामान्य प्रणालीगत अवस्थाओं का पूर्वानुमान/बुखार, सेप्टीसीमिया, टॉक्सिमिया, सदमा, निर्जलीकरण, दर्द, तनाव जैसे विकार और तनाव, एलर्जी और एनाफाअलेक्सिस। पशुओं और कुक्कट में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय प्रणाली, मूत्र, तंत्रीका, मस्कुलोस्कैलटन, हीमोपोइटिक एवं लसिका तंत्र, त्वचा और संवेदी अंग का निदान, विभेदक निदान, उपचार, रोकथाम और नियंत्रण। बैक्टीरिया, वायरल, माइकोप्लास्मल, रिकेट्सियल, फंगल और परजीवी एजेंटों के कारण होने वाले विभिन्न पशुओं और कुक्कुट संक्रामक रोगों का निदान, विभेदक निदान, उपचार, रोकथाम और नियंत्रण। आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल दवा। चपापचयी, पोषण की कमी से होने वाले रोग, विषाक्तता और विषाक्त विकारों का प्रबंधन। चिड़ियाघर और जंगली जानवरों की बीमारियों की रोकथाम, उपचार और नियंत्रण। पशु चिकित्सकों के टीकाकरण और कानूनी कर्तव्य। पशु रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम और कानून, पशुधन आयात अधिनियम, बीमा और देयता। पशु कल्याण संगठन और उनकी भूमिका, मानव और पशु कल्याण संघर्ष और पशु चिकित्सक की पशु कल्याण शिक्षकों के रूप में भूमिका।

8. पशु चिकित्सा प्रसूति रोग और प्रसूति प्रजनन विभाग : नर और मादा प्रजनन प्रणाली की नैदानिक शारीरिक संरचना, लंबे समय तक यौवन, ईस्ट्रस, निषेचन, गर्भाधान की विफलता, प्रजनन क्षमता में सुधार, बाँझपन का प्रबंधन, बाँझपन, गर्भावस्था के अनुप्रयुक्त एंडोक्रिनोलॉजी, झुंड प्रजनन स्वास्थ्य प्रबंधन। ईस्ट्रस डिटेक्शन एड्स, ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन, ओव्यूलेशन, प्रेग्नेंसी डायग्नोसिस, पार्चूरेशन, प्रोलैप्स, डिस्टोकिया, फीटोटॉमी, पोस्टपार्टम यूटेरिन डिसऑर्डर, क्लिनिकल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी। पशुधन और पालतू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान तकनीक, नर प्रजनन की एंडोक्रिनोलॉजी, यौन व्यवहार, वीर्य स्खलन, वीर्य एक्सटेंड़र और डायलूटर, संरक्षण और पोस्ट थॉ मूल्यांकन तकनीक। नर बाँझपन के रूप और सांडों की प्रजनन क्षमता का मूल्यांकन। मादा प्रजनन पथ की अल्ट्रासोनोग्राफी, मादा, नर और पालतू पशुओं के प्रजनन अंगों पर सर्जिकल प्रक्रियाएं। तरल नाइट्रोजन कंटेनरों का रखरखाव, एकाधिक ओव्यूलेशन और भ्रूण स्थानांतरण तकनीकें।

9. पशु चिकित्सा क्लिनिक : पशु चिकित्सालयों के कार्यबल का प्रशासन और प्रबंधन। बीमार पशुओं की प्रारंभिक नैदानिक जांच। नैदानिक मामलों के प्रयोगशाला नमूनों का संग्रह, संरक्षण, लेबलिंग, पैकेजिंग और भंडारण। डॉक्टर—क्लाइंट इंटरेक्शन। प्रयोगशाला निदान के लिए रक्त, मल, श्लेष द्रव, दूध जैसे नैदानिक नमूनों का विश्लेषण। हिस्टोपैथोलॉजी के लिए बायोप्सी और ऊतक/अंग, जानवरों की नैदानिक स्थितियों के साथ प्रयोगशाला निष्कर्षों की व्याख्या।

Question paper- II

(Veterinary Sciences **Total Questions: 150** **Max. Marks: 300**

Time Duration: 3 Hours

1. Veterinary Pharmacology & Toxicology: General pharmacology including historical development, sources and nature of drugs, pharmacological terms and nomenclature of drugs. Pharmacokinetics and pharmacodynamics. Adverse drug reactions, drug interactions. Different types of drugs and their mechanisms of action on different body systems like autonomic nervous system, central nervous system, digestive system, cardiovascular system, respiratory system and urogenital system. Veterinary chemotherapy and drugs of abuse in animals. Pharmacology of indigenous medicinal plants. Poisonous plants and toxicity caused by metals and non-metals, agrochemicals, bacterial and fungal toxins, venomous bites and stings, food additives and preservatives, drugs and pesticide residues. Environmental pollutant and radiation hazards.

2. Veterinary Microbiology: History and scope of veterinary microbiology, bacterial stains &staining techniques. Microscopy and morphology of bacteria. Isolation and identification of aerobic and anaerobic bacteria. Antimicrobial sensitivity testing. Types and sources of infection, method of transmission of infection. Pathogenicity and determinants of virulence. Bacterial genetics, plasmids and drug resistance. Isolation, growth, cultural, morphological, biochemical and antigenic characteristics of important gram negative, gram-positive bacteria and fungi as well as epidemiology and pathogenesis, pathogenicity, diagnosis, prevention and control of bacterial and mycotic diseases caused by them. Mycotoxicoses of veterinary importance. PCR, DNA sequencing and DNA finger printing, bioinformatics, IPR and blotting techniques. Principles of immunology, lymphoid organs, tissues and cells associated with immunity, antigens, antibodies, antigen processing and antibody production, Major histocompatibility complex (MHC), immunotolerance, complement systems, hypersensitivities, cytokines. Concept of immunity to vaccines, serological tests. Structure and classification of viruses, virus replication, virus-cell interaction, cultivation of viruses. General properties, antigens, cultivation of important DNA and RNA viruses as well as pathogenesis, epidemiology, clinical signs, diagnosis, prevention and control of diseases caused by them and prions causing diseases in livestock and poultry.

3. Veterinary Parasitology: General parasitology, types of parasites, hosts and vectors. Modes of transmission of parasites, parasite-host interaction, immunity against parasitic infections or infestations. Life cycle of trematodes, nematodes, cystodes and protozoa as well as arthropods of veterinary importance including Identification of parasites, morphological features, their developmental stages, life cycles, modes of transmission, pathogenesis, epidemiology, diagnosis and general

control measures of disease conditions. Protozoan parasites including *Trypanosoma* spp., *Babesia* spp., *Theileria* spp., *Coccidia* spp., *Trichomonas* spp., *Histomonas* spp. Collection, fixation, preservation and mounting of parasites.

4. Veterinary Pathology: Major intrinsic and extrinsic causes of disease; haemodynamic disorders; reversible and irreversible cell injury; pathology of cell metabolism and necrosis. Postmortem changes, inflammation, immunopathology. Pathological changes affecting digestive, respiratory, musculoskeletal, cardiovascular, haematopoietic, lymphoid, urinary, reproductive, nervous, endocrine systems, skin and appendages, ear and eye. Animal oncology, veterinary clinical pathology, necropsy, urinalysis. Pathology of viral, bacterial, fungal, mycoplasmal and parasitic diseases. Nutritional and metabolic disorders; toxicopathology; avian pathology. Pathology of lab and wild animals. Gross and microscopic pathological lesions of different diseases. Demonstration of causative agents in tissue sections. Post mortem examination of poultry, writing of post mortem report. Collection, preservation and dispatch of clinical and morbid material for diagnosis. Pathology of important diseases of rats, mice, and guinea pigs.

5. Veterinary Public Health and Epidemiology: Role of veterinarian in public health; one health concept. Hygienic production of milk and milk products, meat and meat products. Prevention and control of adulterants and contaminants in milk and meat. Food -borne infections and intoxications, toxic residues of pesticides, hormones, heavy metals, antibiotics in food material. Risk analysis, WTO agreements, sanitary and phytosanitary measures. Epidemiology of livestock diseases, transmission and maintenance of infections, surveillance of animal diseases, animal disease forecasting. Role of OIE and laws on international trade of animals and animal products. Prevention and control of zoonotic diseases, multisectoral approach for zoonoses prevention and control. Emerging, re-emerging and occupational zoonoses. Role of domestic, wild, pet and laboratory animals and birds in transmission of zoonoses. Zoonotic pathogens as agents of bioterrorism. Epidemiology, clinical manifestations and management of important zoonoses. Environmental hygiene, ecosystem, biodiversity, air and water borne infections and intoxicants, noise pollution, nuclear hazards, impact of global warming and green house effects on livestock. Impact of climate change and international treaties or protocols.

6. Veterinary Surgery and Radiology : Preoperative, intraoperative and post operative considerations, sterilization and disinfection, sutures, surgical treatment of acute and chronic inflammation, tumors, cysts, hernia and hematoma, wound management, management of surgical shock, administration of local and general anesthesia, sedatives and tranquillizers, inhalation anesthesia, dissociative anesthesia. Avian, wild, zoo, exotics and lab animal anaesthesia and capture myopathy, anaesthetic emergencies and management. Physical properties of X-ray,

contrast radiography, diagnostic ultrasonography, Radiation hazards and safety measures. Surgical management of affections of head, neck, thorax and abdomen. Management of lameness in equine, canine and bovine; fractures, spinal trauma, rehabilitation and physiotherapy of orthopedic patients, Rumenotomy, cystotomy, caesarian operation, ovariohysteractomy, stringhalt and ovariectomy.

7. Veterinary Medicine: History of Veterinary Medicine, concept of animal diseases, various system of medicine, various aspect of clinical examination/ general examination and Systemic examination . Estimates of diseases, patterns of diseases, disease monitoring and surveillance, herd health and quarantine Concepts of diagnosis, differential diagnosis, treatment and prognosis of general systemic states/disorders like Fever, Septicaemia, Toxaemia, Shock , Dehydration, pain, stress and stressors, allergy & anaphylaxis. Diagnosis, Differential diagnosis, treatment, prevention and control of animal and poultry diseases of digestive, respiratory, cardiovascular, urinary, nervous, musculoskeletal, haemopoietic and lymphatic systems, skin and sense organs. Diagnosis, Differential diagnosis, treatment, prevention and control of various animal and poultry infectious diseases caused by bacterial ,viral, mycoplasmal, ricketsial, fungal and parasitic agents. Emergency and critical care medicine. Management of metabolic and deficiency disease and poisoning & toxicological disorders. Prevention, treatment and control of zoo and wild animal diseases. Vaccination and legal duties of veterinarians. The prevention and control of animal diseases Acts & Statutes, livestock Importation Act, insurance and liability. Animal welfare organizations and their role; human and animal welfare conflicts and veterinarians as animal welfare educators.

8. Veterinary Gynecology and Obstetrics: Clinical anatomy of male and female reproductive systems, prolonged puberty, estrous, fertilization, failure of conception, fertility improvement, management of infertility, sterility, applied endocrinology of pregnancy, herd reproductive health management. Estrus detection aids, estrus synchronization, ovulation, pregnancy diagnosis, parturition, prolapse, dystocia, fetotomy, postpartum uterine disorders, Clinical reproductive anatomy. Artificial insemination techniques in farm and pet animals, endocrinology of male reproduction, sexual behavior, semen ejaculation, semen extenders and dilutors, preservation and post thaw evaluation techniques. Forms of male infertility and breeding soundness evaluation of bulls. Ultrasonography of female reproductive tract; surgical procedures on reproductive organs of female, male and pet animals. Maintenance of liquid nitrogen containers, multiple ovulation and embryo transfer techniques.

9. Veterinary Clinics: Administration and management of work force of veterinary hospitals. Preliminary clinical examination of sick animals. Collection, preservation, labeling, packaging and storage of laboratory samples of clinical cases. Doctor -client interaction. Analysis of clinical samples like blood, urine, stool, synovial fluid, milk for laboratory diagnosis. Biopsy and morbid material for

histopathology, interpretation of laboratory findings with clinical condition of the animals.

प्रश्न पत्र–III

(पशु विज्ञान)

कुल प्रश्न : 150 **अधिकतम अंक : 300** **समयावधि : 3 घंटे**

1. वेटरनरी एनाटॉमी : गोवंशीय पशु के शरीर के विभिन्न अंगों (पैर, सिर और गर्दन, वक्ष, पेट और श्रोणि) का ओस्टियोलॉजी, आथ्रोलॉजी, मायोलॉजी, स्प्लेनकोलोजी, एंजियोलॉजी और तंत्रिका विज्ञान तथा भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, कुत्ते, सुअर और मुर्गे में अंतर। पाचन का ऊतक विज्ञान, संचार, मूत्र, श्वसन, तंत्रिका, लसीका, अंतःस्रावी, नर और मादा जननांग प्रणाली और पालतू पशुओं की स्तन ग्रंथियां। ऊतकीय तकनीक। संवेदी अंगों यानी आंख, कान एवं त्वचा की रचना और सूक्ष्म संरचना। पालतू पशुओं का भ्रूणविज्ञान।

2. वेटरनरी फिजियोलॉजी : कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी। मांसपेशियों, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र की फिजियोलॉजी। वृद्धि और वृद्धि कर्व की फिजियोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी और विभिन्न एंडोक्रिन ग्लैंड्स का ज्ञान । मादा प्रजनन की फिजियोलॉजी, एस्ट्रस चक्र, दुग्ध निकालना। नर प्रजनन और वीर्य मूल्यांकन की फिजियोलॉजी। वृद्धि और पर्यावरण फिजियोलॉजी और जानवरों पर इसका प्रभाव।

3. पशु चिकित्सा जैव रसायन : पशु चिकित्सा जैव रसायन का दायरा और महत्व। जैव रसायन और कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व (मोनोसेकेराइड, डाईसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड), प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। मध्यवर्ती चपापचय और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के चपापचय रास्ते। कार्बोहाइड्रेट चपापचय के विकार। सीरम जैव रसायन का पता लगाना, जिसमें एंजाइम, हार्मोन, खनिज और विटामिन शामिल हैं तीव्र चरण प्रोटीन, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, द्रव चिकित्सा के लिए जैव रासायनिक आधार, जेनोबायोटिक्स का चपापचय ।

4. पशु चिकित्सा और पशुपालन विस्तार शिक्षा : पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान में विस्तार शिक्षा की बुनियादी अवधारणाएं एवं दर्शन तथा भारत में इसका विकास और अनुप्रयोग। पशुधन आधारित आजीविका और उनके विकास के साथ–साथ समकालीन समाज में पशुओं की भूमिका। पशुपालन विस्तार में ग्रामीण समाजशास्त्र की भूमिका। पशुधन विकास के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। संचार और विस्तार शिक्षण विधियाँ। पशुधन क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के अनुप्रयोग की ताकत और सीमाएं। पशुधन अर्थशास्त्र, विपणन और उद्यमिता। पशुधन उद्यमों में समसामयिक मुद्दे।

5. पशु आनुवंशिकी और प्रजनन : पशु आनुवंशिकी और प्रजनन में सांख्यिकी, जैवसांख्यिकी और कम्प्यूटर उपकरण का महत्व और अनुप्रयोग सहित पशु आनुवंशिकी के सिद्धांत, साइटोजेनेटिक्स, आनुवंशिक विरासत की अभिव्यक्ति, आणविक आनुवंशिकी, जीन की अवधारणा और इसकी संरचना और आणविक तकनीक। जनसंख्या आनुवंशिकी के सिद्धांत। पशुधन और कुक्कुट प्रजनन, नस्लों का वर्गीकरण। पशुधन एवं कुक्कुट के आर्थिक चरित्र और उनका महत्व। चयन, प्रजनन के प्रकार और तरीके, पशुओं के सुधार के लिए रणनीतियां,

नई नस्लों/उपभेदों का विकास। देश एवं राज्य में वर्तमान पशुधन एवं कुक्कुट पालन की नीतियाँ एवं कार्यक्रम। पशु आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण। पशुधन और कुक्कुट के अनुवांशिक सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का अनुप्रयोग। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए पशु प्रजनन। पालतू जानवरों, चिड़ियाघर और जंगली जानवरों का प्रजनन।

6. पशुधन उत्पादन प्रबंधन : पशुधन का जनसांख्यिकीय वितरण, भारत में पशुधन उद्योग की समस्याएं और संभावनाएं। सामान्य पशुपालन तकनीकी शब्दावली। पशुधन और जंगली जानवरों का परिवहन एवं पशु प्रक्षेत्र प्रबंधन अभ्यास। पशुओं के सामान्य दूषित आचरण और उनकी रोकथाम। जैविक पशुधन उत्पादन। पशुधन का मूल्यांकन, चयन और छंटाई। छोटे और बड़े रोमंथी पशु, कुक्कुट, खरगोश/पालतू पशु/अश्व प्रजाति के पशु/शूकर और चिड़ियाघर के पशुओं के आवास, नस्लें, आहार व्यवस्था शामिल हैं का रिकॉर्ड रखना एवं अन्य आवश्यक प्रक्षेत्र कार्य उत्पादन एवं प्रबंधन, हैचरी प्रबंधन। विभिन्न पालतू, सहचर एवं चिड़ियाघर के जानवरों का नियमित रूप से और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पशु कल्याण। पशु चिकित्सकों के कानूनी कर्तव्य। जानवरों के खिलाफ सामान्य अपराध और इन अपराधों से संबंधित कानून। चारा उत्पादन और संरक्षण। बेसहारा एवं चोटिल पशुओं का प्रबंधन।

7. पशु पोषण : कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पोषण संबंधी पहलू। पशुधन और कुक्कुट उत्पादन के लिए सामान्य आहार और चारे, उनके अवयव, वर्गीकरण, उपलब्धता और महत्व । विभिन्न प्रजातियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं–प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन। पशुओं की विभिन्न प्रजातियों के लिए आहार प्रौद्योगिकी, योजक, मिलावट, आहार मानक, संतुलित आहार का निर्माण। बछड़े, शुष्क, गर्भवती और दुधारू पशु, ओसर, सांड़, भारवाही पशु, अंड़े एवं मांस देने वाली मुर्गियों के पोषण की आवश्यकताएं एवं आहार निर्माण। आहार संबंधी प्रयोग। पाचन और चपापचय परीक्षण। रोमंथी पशुओं में पाचनशक्ति का मापन और उसे प्रभावित करने वाले कारक, भेड़ एवं बकरी की वृद्धि एवं उत्पादन (दूध, मांस और ऊन) के विभिन्न चरणों के लिए आहार निर्माण एवं खिलावट। उच्च उत्पादक पशुओं की दाना व्यवस्था एवं बायपास पोषक तत्वों की भूमिका। चपापचय संबंधी विकार और पोषण हस्तक्षेप। रोमंथी पशुओं के लिए एनपीएन यौगिकों का उपयोग। कुक्कट, शूकर और अश्व प्रजाति में पोषक तत्वों की आवश्यकताएं और आहार निर्माण।

8. पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी : भारत में दुग्ध उद्योग की संभावनाएं। दुग्ध संग्रह और प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण, दुग्ध के अवयव, जीएलपी प्रथाएं और एचएसीसीपी, डेयरी संयंत्र प्रबंधन। घी, पनीर, दही, खोया आदि जैसे दुग्ध उत्पादों को तैयार करना और गुणवत्ता प्रबंधन। A1 और A2 दूध का महत्व। बीआईएस, एफएसएसएआई विनिर्देश का ज्ञान, दूध और दूध उत्पादों के लिए खाद्य सुरक्षा मानक। ग्रामीण, शहरी और आधुनिक बूचड़खानों का विन्यास एवं प्रबंधन। एफएसएसएआई मानकों पर बूचड़खानों का विन्यास और संगठन। पशु कल्याण और पूर्व–वध देखभाल। जानवरों और मांस का वध–पूर्व एवं वधोपरांत परीक्षण, मांस की पोषक गुणवत्ता, दूध और मांस उत्पादों के लिए प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, मांस का संरक्षण और मांस उत्पादों और गुणवत्ता के रखरखाव। बूचड़खाने के उपोत्पाद एवं बहिस्राव प्रबंधन। मांस और मांस के उत्पादों को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून।

जैविक और आनुवंशिक रूप से संशोधित मांस और पोल्ट्री उत्पाद। ऊन के गुण, संरचना और इसका वर्गीकरण। कटाई उपरान्त ऊन के गुणवत्ता एवं वर्गीकरण कार्य। फर, पेल्ट और विशेष फाइबर के प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में बुनियादी ज्ञान।

Question paper- III
(Animal Sciences)

Total Questions: 150 Max. Marks: 300 Time Duration: 3 Hours

1. **Veterinary Anatomy**: Osteology, arthrology, myology, splanchnology, angiology and neurology of different body parts (limbs, head and neck, thorax, abdomen and pelvis) of cattle and differences in buffalo, sheep, goat, camel, horse, dog, pig and fowl. Histology of digestive, circulatory, urinary, respiratory, nervous, lymphatic, endocrine, male and female genital systems and mammary glands of domestic animals. Histological techniques. Aesthesiology and microscopic structure of sense organs *i.e*. eye, ear and integument. Embryology of domestic animals.

2. **Veterinary Physiology**: Physiology of cardiovascular system, hematology. Physiology of muscular, digestive, respiratory, excretory and nervous systems. Physiology of growth and growth curves. Endocrinology and knowledge of various endocrine glands. Physiology of female reproduction, estrous cycle, lactation. Physiology of male reproduction and semen evaluation. Growth and environmental physiology and its impact on animals.

3. **Veterinary Biochemistry**: Scope and importance of veterinary biochemistry. Biochemistry and biological significance of carbohydrates (monosaccharides, disaccharides, polysaccharides, mucopolysaccharides), proteins, lipids and nucleic acids. Intermediary metabolism and metabolic pathways of carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. Disorders of carbohydrate metabolism. Detection of serum biochemicals, including enzymes, hormones, minerals and vitamins, acute phase proteins; liver function tests, kidney function tests; biochemical basis for fluid therapy, metabolism of xenobiotics.

4. **Veterinary and Animal Husbandry Extension Education:** Basic concepts and philosophy of extension education in veterinary and animal sciences and its development and applications in India. Livestock based livelihoods and their evolution as well the role of animals in the contemporary society. Role of rural sociology in animal husbandry extension. Transfer of technology for livestock development. Communication and extension teaching methods. Strengths and limitations of information and communication technologies (ICTs) application in

livestock sector. Livestock economics, marketing and entrepreneurship. Contemporary issues in livestock enterprises.

5. **Animal Genetics and Breeding:** Importance and applications of statistics, biostatistics and computers tools in animal genetics and breeding. Principles of animal genetics including cytogenetics, expression of genetic inheritance, molecular genetics, concept of gene and its structure and molecular techniques used in animal genetics and breeding. Principles of population genetics. Livestock and poultry breeding, classification of breeds. Economic characters of livestock, poultry, and their importance. Types and methods of selection, breeding strategies for improvement of animals, development of new breeds/strains. Current livestock and poultry breeding policies and programmes in the state and country. Conservation of animal genetic resources. Application of reproductive and biotechnological tools for genetic improvement of livestock and poultry. Animal breeding for disease resistance. Breeding of pet, zoo and wild animals.

6. **Livestock Production Management:** Demographic distribution, problems and prospects of livestock industry in India. Common animal husbandry terms. Transportation of livestock and wild animals and common farm management practices. Common vices of animals and their prevention. Organic livestock production. Judging, selection and culling of livestock. Production and management of small and large ruminants, poultry, rabbitory/pet animals/equine/swine and zoo animals including their housing, breeds, feeding practices, records keeping and other required farm practices. Hatchery management. Animal welfare of different domestic, companion and zoo animals in routine and during natural calamities. Legal duties of veterinarians, Common offences against animals and laws related to these offences. Fodder production and conservation. Management of stray and fallen animals.

7. **Animal Nutrition:** Nutritional aspect of carbohydrates, protein and fats. Common feeds and fodders, their compositions, classification, availability and importance for livestock and poultry production. Nutritional requirements of different species of animals, including protein, carbohydrate, minerals and vitamins. Feed technology, additives, adulterations, feeding standards, formulation of balanced ration for different species of animals, Nutrient requirement and feed formulation for calves, dry, pregnant, and lactating animals, heifers, breeding bulls, working animals, layer and broiler production. Feeding experiments. Digestion and metabolism trial. Measurement of digestibility and factors affecting digestibility of a feed in ruminants. Formulation of ration and feeding of sheep and goat during different phases of growth and production (milk, meat and wool). Feeding of high yielding animals

and role of bypass nutrients. Metabolic disorders and nutritional interventions. Use of NPN compound for ruminants. Nutrient requirements and feed formulations in poultry, swine and equine.

8. **Livestock Products Technology:** Prospects of milk industry in India. Collection and processing of milk, quality testing, composition of milk, GLP practices and HACCP, dairy plant management. Preparation of milk products like Ghee, Paneer, Yoghurt, Khoya etc. and quality management. Importance of A1 and A2 milk. Knowledge of BIS, FSSAI specifications, food safety standards for milk and milk products. Layout and management of rural, urban and modern abattoirs. FSSAI standards on organization and layout of abattoirs. Animal welfare and pre-slaughter care. Ante mortem and post mortem examination of animal and meat, nutritive value of meat, processing technology for milk and meat products, Preservation of meat and meat products and maintenance of quality. Abattoir byproducts and effluent management. Laws governing national or international trade in meat and meat products. Organic and genetically modified meat and poultry products. Structure and properties of wool, its classification. Post shearing operations of wool and grading. Basic knowledge about fur, pelt and specialty fibers with respect to processing industry.

परिशिष्ट–03

(1) उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

(2) उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पूरा नाम ....

मुहर : पदनाम ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

(3) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या– 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पूरा नाम...................................

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी ....

(सील) ....

(4) उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम व पता)

(अधिसूचना संख्याः–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या..................... वर्ष................ हेतु मान्य दिनांक.......................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पत्नी/पुत्री..ग्राम/मुहल्ला...पोस्ट ऑफिस........ .... जिला...................................... पिन कोड............................उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वित्तीय वर्ष..............................की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक रू0 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता हैः–

I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.................................जो कि......................... जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम....................
पदनाम........................

आवेदक की नवीनतम पासपोट साइज का प्रमाणित फोटो

(5) दिव्यांगजन प्रमाण–पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – ....

तारीख ....

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ....आयु.. लिंग............................. पहचान चिन्ह..निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुॅच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुॅच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुॅच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –
(i) बी – अंधता
(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना
(i) डी–बधिर
(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। ....वर्षों .... महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *
3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत .... है।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i)	एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(ii)	पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है ।	हॉ/नहीं
(iii)	एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(iv)	के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हॉ/नहीं
(v)	बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vi)	एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vii)	एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(viii)	डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(ix)	एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(x)	एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(xi)	आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं

डा0......................................)	(डा0.....................................)	(डा0............................)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित (मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

(6) शासनादेश सं0 139/XX(8)/24-27(रा0आ0)/2018, दिनांक 24.11.2024 में संदर्भित **उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों हेतु क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु प्रमाण–पत्र** का प्रारुप

प्रारुप–1

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री / सुश्री / श्रीमती........ ....पुत्र / पुत्री / पत्नी, श्री.. निवासी...................................तहसील......................... ..जिला................ शासनादेश संख्या– 777 / XX(4)26/उ0आ0 / 2006–08, दिनांक 22.10.2008, शासनादेश सं0 178–2 / 2 / XX(4)/26/उ0आ0/06/09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश संख्या 1401 / बीस–4 / 2015–3(26) / 2006, दिनांक 25.02.2015 शासनादेश संख्या–1521 / बीस–4 / 2017–9(उ0रा0आ0), 2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश सं0 1192 / बीस–4 / 2017–3(13) / 2011, दिनांक 01.12.2017 में विहित चिह्नीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के रुप में चिह्नित होने के दृष्टिगत ''उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023'' के प्राविधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से आच्छादित होते हैं।

दिनांक.........................

जिलाधिकारी

जनपद.........................

मोहर..............................

प्रारुप–2

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी के आश्रितों यथा पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित है) को राज्याधीनसेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारुप

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री/सुश्री/श्रीमती........ ....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री.. निवासी...................................तहसील..................... ......जिला........... शासनादेश संख्या– 777/XX(4)26/उ0आ0/2006–08, दिनांक 22.10.2008, शासनादेश सं0 178–2 /2/XX(4)/26/उ0आ0/06/09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश संख्या 1401/बीस–4 /2015–3(26)/2006, दिनांक 25.02.2015 शासनादेश संख्या– 1521/बीस–4/2017–9(उ0रा0आ0), 2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश सं0 1192/बीस–4/2017–3(13)/2011, दिनांक 01.12.2017 में विहित चिह्नीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी चिह्नित किये गए हैं तथा श्री/सुश्री/श्रीमती.................... पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति के रुप में उक्त संदर्भित राज्य आंदोलनकारी के आश्रित हैं।

दिनांक.........................

जिलाधिकारी

जनपद.........................

मोहर..............................

परिशिष्ट–04

पशुचिकित्सा अधिकारी चयन परीक्षा – 2026 हेतु न्यूनतम् अर्हकारी अंक

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधान के तहत निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:–

क्र0 सं0	श्रेणी / उपश्रेणी	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)।
1.	अनारक्षित श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	**45%**
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	**40%**
3.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	**40%**
4.	अनुसूचित जाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	**35%**
5.	उ0 पूर्व सैनिक	**35%**
6.	उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन	**30%**

नोट :: 1. सम्बन्धित श्रेणी / उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही मेरिट **(MERIT)** के क्रम में प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

2. उत्तराखण्ड महिला, उत्तराखण्ड अनाथ / प्रभावित बच्चे, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी के चिह्नित आंदोलनकारी एवं उनके आश्रित से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उनकी मूल श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

परिशिष्ट–05

शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–5(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–5(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–5(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–5(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–5(1)** प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।

6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को

कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की–बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।

7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।

9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

परिशिष्ट–05(1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ………………….. (name of the candidate with disability), a person with ………………….. (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o ………………….., a resident of …………………..(Village/District/State) and to state that he/she has physical limition which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

परिशिष्ट–05(2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I …………………, a candidate with ………………….(name of the disability) appearing for the ………………….(name of the examination) bearing Roll No. …………………. at ………………….(name of the centre) in the District …………………. (name of the State). My qualification is ………………….

I do hereby state that …………………. (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is …………………. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट–06

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एव/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट–6(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के सबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट–6(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र निम्नवत गठित बहु–सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है–

i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... अध्यक्ष
ii. Orthopaedic/PMR specialist
iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
iv. ClinicalPsychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/ Special Educator
v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पर्वू मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान–पत्र के साथ **परिशिष्ट–6(2)** प्रमाण–पत्र एवं **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक–पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा मे ं अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण–पत्र के बिन्दु संख्या–2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू–तल पर निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिशिचित की जाएगी।

9. उक्त दिशा–निर्देश शासनादेश सख्ंया : 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबधीं मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होगें।

10. उत्तराखण्ड के बाहर के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को भी, माँगे जाने पर नियमानुसार श्रुतलेखक उपलब्ध कराया जाएगा।

परिशिष्ट–06 (I)

Appendix-06 (I)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs…………………………………….(name of the candidate), s/o /D/o ……………………………..a resident of ………………………………………………………………………… ………………………….. (Vill/PO/PS/District/State), aged……… yrs. a person …………(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto ______ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer…………… Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट–06 (II)

Appendix-06 (II)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I___________________, a candidate with_____________(nature of disability/condition) appearing for the _______________(name of the examination) bearing Roll No. ____________________at________________(name of the center) in the District ___________,__________(name of the State). My educational qualification is ______________.

2. I do hereby state that___________________ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is_______________. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

परिशिष्ट–07

पशुचिकित्सा अधिकारी चयन परीक्षा–2026

Check List

पदनाम – पशु चिकित्सा अधिकारी अनुक्रमांक–

क्र0सं0	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र **(प्रपत्र संख्या–02)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र **(प्रपत्र संख्या–03)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना पत्रक **(प्रपत्र संख्या–04)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र/अंकतालिका	
06	**A-** आयु हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनुसार 01 जुलाई 2026 तक **(जन्मतिथि 02.07.1984 से 01.07.2005 के मध्य) –** ....वर्ष..................माह................दिन **B–आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तिथि तथा प्रमाण पत्र के अनुसार तिथि में परिवर्तन । हाँ/नहीं** **C- हाँ की दशा में अभ्यर्थी की जन्मतिथि 02.07.1984 से 01.07.2005 के मध्य है अथवा नहीं।**	
07	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0) में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से उसके समकक्ष उपाधि या समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984(अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित कोई अन्य पशु चिकित्सा अर्हता। **वर्ष– ....**	
08	स्नातक अंकतालिकाएं (समस्त सेमेस्टर/वर्षों की)	
09	उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद पंजीकरण प्रमाणपत्र।	
10	अधिमानी अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	
	(क) पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, डिप्लोमा, या अन्य कोई उच्च अर्हता प्राप्त की हो, या	
	(ख) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या	
	(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	
11	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0)**	
12	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी	

	प्रमाण–पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/ उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/दिव्यांग/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिह्नित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित)	
15	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र।	
16	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।	
17	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
18	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।	
19	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा–आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि मूल रूप से तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

* एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की **अंतिम तिथि दिनांक 14 सितम्बर., 2026 तक वैध** होना चाहिए। शासनादेश संख्या–310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। **अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हों।**

* ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र **वित्तीय वर्ष 2025–2026** की आय गणना के आधार पर निर्गत तथा **वित्तीय वर्ष 2026–2027** हेतु मान्य होना चाहिए।

* पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक इस आशय का शपथपत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।

*अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी अथवा उनके आश्रित हेतु क्षैतिज आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में इस आशय का शपथपत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारी कोटे से क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

नोट–आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या–02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या–03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या–04) एवं समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर............................

अभ्यर्थी का नाम..............................